न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1462/2026

(महाराजगंज थाना कांड सं0– 196/2026 से उत्पन्न)

अंतर्गत धारा– 190, 191(1), 115(2), 109, 351(2),352, 74, 303(2) भारतीय न्याय संहिता

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

अनील कुमार तिवारी एवं अन्य..... आवेदकगण

बनाम्

बिहार राज्य जरिये लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थित– श्री इष्टदेव तिवारी, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से
श्री अक्षय लाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आदेश

19.06.2026

आवेदक/अभियुक्तगण **अनील कुमार तिवारी, विकेश तिवारी, अनुप कुमार, अंकित कुमार एवं प्रिंस कुमार** की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ अग्रिम जमानत आवेदन, महाराजगंज थाना कांड संख्या 196/2026 अंतर्गत धारा 190,191(1),115(2),109,351(2),352,74,303(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस सुना गया।

प्रासंगिक मामला संक्षेप में, यह है कि दिनांक 21.05.2026 को समय करीब 2.30 बजे दिन में सूचक अपने घर के सामने सहन जमीन का बाउंड्री करवा रहे थें। सूचक तथा सूचक के भाई राजा प्रसाद वहीं बैठे थे कि उसी समय एकाएक नाजायज मजमा बनाकर सूचक के ही गॉव के अनिल तिवारी, अनुप तिवारी, अंकित तिवारी, प्रिती कुमारी, विकेश तिवारी, प्रिंस तिवारी, जयश्री कुमारी, विकेश तिवारी की पत्नी, अनिल तिवारी की पत्नी, अपने–अपने हाथ में तलवार, फरसा तथा रॉड एवं लाठी लेकर आये तथा उन्हें घेर लिए। अनिल तिवारी बोले की ''मारो साले को, जान से मार दो''। इतने पर सभी व्यक्ति उनपर टूट पड़े तथा अनुप तिवारी जान मारने के नियत से सूचक के भाई राजा प्रसाद के सर पर तलवार से मार दिये, जिससे कि राजा प्रसाद का सर फट गया तथा विकेश तिवारी रॉड से राजा प्रसाद के ऑख पर मारे जिससे ऑख से खून गिरने लगा। सूचक ने अपने भाई को बचाना चाहा तो सभी व्यक्ति सूचक एवं सूचक के भाई को रॉड, लाठी से मार पीटकर बुरी तरह जख्मी कर दिये। हल्ला होने पर उनकी बहु काजल देवी, सुनीता देवी आयी तो उक्त सभी उनको भी मार–पीट कर जख्मी कर दिये तथा सुनीता देवी के गले से सोने का मंगलसूत्र (कीमत करीब 95,000 हजार) अंकित तिवारी नोंच लिये। तत्पश्चात् काजल देवी एवं सुनीता देवी का भरे समाज में कपड़ा खींचकर अर्द्धनग्न कर दिये। हल्ला होने पर आस–पास के लोग आये तथा उन्हें इलाज हेतु अनुमंडल अस्पताल ले गये। प्रथम इलाज के बाद गम्भीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल सिवान रेफर कर दिया गया हैं। सूचक के भाई मौत से जुझ रहा हैं। उसके सर में 08 टॉके लगे हैं, उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा हैं।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण पूरी तरह निर्दोष हैं और उन्हें गलत इरादे से इस मामलें में झूठा फंसाया गया हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से यह मामला राजहरण प्रसाद के लिखित आवेदन के आधार पर किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया हैं कि दिनांक 21.05.2026 को समय 2:30 बजे वह अपने घर के सामनें बाउंड्री करवा रहे थें और उनके भाई राजा प्रसाद भी वहीं बैठे थें। इसी दौरान सभी आरोपीयों ने गलत इरादे से इकटठा होकर तलवार, फरसा, रॉड और लाठी से लैस होकर वहॉ आकर सूचक को घेर लिया। आगे आरोप हैं कि अनिल तिवारी ने कहा, मारो साले को, जान से मार दो। इस पर सभी आरोपियों ने सूचक पर हमला कर दिया । आगे आरोप हैं कि अनूप तिवारी ने सूचक के भाई राजा प्रसाद के सिर पर तलवार से वार किया और विकेश तिवारी ने रॉड से वार किया जिससे उनके सिर और ऑखों में चोट आई । इसके बाद हल्ला करने पर सूचक की बहू काजल देवी और सुनीता देवी आई और आरोप है कि आरोपियों ने उनपर भी हमला कर दिया। इसके बाद अंकित तिवारी ने सुनीता देवी के गले से सोने का मंगलसूत्र छीन लिया और यह भी आरोप हैं

कि उन्होनें काजल देवी एवं सुनीता देवी को सार्वजनिक रूप से अर्धनग्न कर दिया। इसके बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहॉ उनका इलाज किया गया और उन्हें सिवान के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहॉ उनका ईलाज जारी हैं। आवेदक/अभियुक्त विकेश तिवारी के खिलाफ आरोप है कि उन्होनें राजा प्रसाद की ऑखों पर हमला किया तथा आवेदक/अभियुक्त अनूप तिवारी ने सूचक के सिर पर हमला किया। अनिल तिवारी, अंकित कुमार तिवारी और प्रिंस कुमार के खिलाफ किसी पर हमला करने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है । इस मामलें में परिवार के सभी सदस्यों के साथ–साथ महिला सदस्यों को भी फंसाया गया हैं, जबकि सह–आरोपी प्रीति कुमारी, जयश्री कुमारी, मालती देवी और अनीता देवी के खिलॉफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं और उन्हें केवल झूठे आरोपों के साथ पेश किया गया हैं। इसका एक प्रतिवाद भी हैं, महाराजगंज थाना कांड संख्या– 197/2026 दर्ज है, जिसमें अनिल कुमार तिवारी सूचक और घायल हैं, और उस मामलें में विकेश तिवारी भी घायल हुआ था और उस मामलें में आरोपी पक्ष के द्वारा चाकू से हमला किया गया था। उपरोक्त चर्चा के अनुसार यह प्रतीत होता हैं कि आवेदक/अभियुक्त अनिल तिवारी आदेश देने वाला हैं जबकि आवेदक/अभियुक्त विकेश तिवारी पर राजा प्रसाद की आंखों में चोट पहुंचाने का अरोप हैं और जहां तक महिलाओं का संबंध है, उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया हैं और इसलिए उनके खिलाफ धारा 109 बी.एन.एस के तहत कोई अपराध नहीं बनता हैं। प्राथमिकी में वर्णित पूरी कहानी मनगढंत हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण के भागने या अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण इस विद्वान न्यायालय के संतोष के अनुसार जमानत बांड प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की गयी।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया और कथन किया गया कि अग्रिम जमानत आवेदन को अस्वीकृत किया जाय।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, महाराजगंज थाना कांड संख्या 196/2026 अंतर्गत धारा 190,191(1),115(2),109,351(2),352,74,303(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक/अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि सूचक एवं सूचक के भाई अपने घर के सामने सहन जमीन का बाउंड्री करवा रहे थे तभी आवेदक/अभियुक्तगण ने सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक एवं सूचक के परिवार के साथ गाली–गलौज, मारपीट किए तथा सुनीता देवी के गले से मंगलसूत्र छिन लियें। मामला भूमि विवाद से जुड़ा परिलक्षित होता हैं। उभयपक्ष द्वारा एक दूसरे पर केस किया गया है। साक्षियों ने किसी अभियुक्त के विरूद्व कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया है। जख्म प्रतिवेदन में कारित जख्म साधारण एवं कठोर पदार्थ से कारित बताया गया हैं। कांड दैनिकी के कंडिका संख्या– 32 के अवलोकन से विदित होता हैं कि आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्व कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त दशा में आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए आवेदक/अभियुक्तगण **अनील कुमार तिवारी, विकेश तिवारी, अनुप कुमार, अंकित कुमार एवं प्रिस कुमार** का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। तद्नुसार इन आवेदकगण की गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण की अवस्था में इनकी ओर से विद्वान निम्न न्यायालय के संतुष्टियोग्य प्रत्येक आवेदकगण को मो0 10,000/– दस हजार रूपये के समान राशि वालें दो प्रतिभू के साथ आदेश के चार सप्ताह के अन्दर बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि आवेदक 482 बी.एन.एस.एस. के शर्तों के अनुपालन हेतु शपथ पत्र से समर्थित दाखिल करेंगे एवं साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे। आवेदक/अभियुक्तगण अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेंगे। आवेदक/अभियुक्तगण इस आशय का शपथ पत्र अलग से दाखिल करेंगे कि वह भविष्य में कभी इस तरह के अपराध में सम्मिलित नहीं होंगे।

लेखापित
ह0/–
(मोनिषा सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ
सिवान।